संख्या-7/2015/17सीएम/62-1-2015/12जीडब्लू/15

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश् शासन ।

2- समस्त विभागाध्यक्ष/
कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

3- समस्त मण्लायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

4- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 01 अप्रैल, 2015

विषय- मुख्य मंत्री जल बचाव अभियान योजना'' को प्रदेश में प्राथमिकता पर लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,,

आप अवगत है कि प्रदेश में सिंचाई पेयजल एवं औ़द्योगिक सेक्टर में तेजी से वृद्धि होने के परिणामस्वरूप शहरी एवं ग्रामीण् क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर भूगर्भ जल की उपलब्धता में कमी आने के साथ भूजल स्तर में तेजी से गिरावट आई है। आशंका है कि यदि भूजल स्तर गिरने का यही क्रम बना रहा तो आगामी वर्षों में भूजल उपलब्धता में भारी कमी आने के साथ विशेष कर प्रत्येक वर्ष गर्मियों में जल संकट की विकट स्थिति उत्पन्न हो सकती है। देखा जा रहा है कि प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण एवं वर्षा जल का उचित संचयन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

न होने के कारण जनता को पेयजल व सिंचाई की समस्याओं का सामना प्रत्येक वर्ष करना पड़ता है।

2- यद्यपि, प्रदेश सरकार इस प्राकृतिक संसाधन के प्रबन्धन के साथ-साथ इसे संरक्षित करने के लिये अत्यंत गम्भीर है और इसी कडी में राज्य सरकार द्वारा महत्व्पूर्ण निर्णय लेते हुए 18फरवरी, 2013 को उत्तर प्रदेश में भूजल प्रबन्धन, वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज हेतु 'समग्र नीति' लागू की गयी है और इस समग्र नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों को दायित्व सौंपे गये हैं। किन्तु जिस गति से प्रदेश में भूजल की समस्या बढती जा रही है वह एक चिन्ता की बात है। सरकार के अथक प्रयासों के बावजूद भूजल संकट की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हो पा रहा है। वर्ष 2000 में जहॉ प्रदेश में मात्र 22 विकासखण्ड ही अतिदोहित/ क्रिटिकल श्रेणी में वर्गीकृत किये गये थे, उनकी संख्या वर्ष 2011 के भूजल आकलन में बढकर 179 पहुच चुकी है, जो एक गम्भीर स्थिति है। माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा इस विषय पर गहरी चिन्ता व्यक्त की गयी है और वर्षा जल के समुचित संचयन हेतु विशेष प्रयास किये जाने पर बल दिया गया है। प्राकृतिक जल स्रोतों यथा तालाबों, पोखरों तथा कुओं के जीर्णोद्धार उचित रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण आदि के साथ ही वर्षा जल संचयन हेतु ग्रामीण एवं शहरी सभी क्षेत्रों में विस्तृत कार्य योजना बनाकर सुनियोजित रूप से कार्य किये जाने से उक्त समस्या का समाधान काफी हद तक सम्भव हो सकता है तथा माननीय मुख्य मंत्री जी की स्वप्निल परियोजना ''हर गॉव में गंगा'' को साकार किया जा सकता है।

3- उक्त के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा प्राकृतिक जल स्रोतों एवं वर्षा जल के प्रभावी संचयन के उददेश्य से .''मुख्य मंत्री जल बचाव अभियान योजना'' को आरम्भ किया गया है। अतएव मुझे यह कहने का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

निदेश हुआ है कि उक्त महत्वाकांक्षी योजना के समेकित एवं सुनियोजित ढंग से कार्यान्वयन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ की जाय-

3.1 प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 'जल बचाओं समिति' का गठन किया जायेगा। उक्त समिति से संबंधित समस्त विभागों यथा- सिंचाई विभाग, कृषि विभाग, उ0प्र0 जल निगम, ग्राम्य विकास विभाग, लघु सिंचाई विभाग, भूगर्भ जल विभाग, वन विभाग, नगर स्थानीय निकाय, विकास प्राधिकरण, निर्माण एजेन्सी, उद्यान विकास विभाग आदि के प्रतिनिधि समिति के सदस्य के रूप में सम्मिलित किये जायेंगे।

उक्त समिति निम्नानुसार कार्यों को सम्पादित करायेगी-

3.1.1 अतिदोहित एवं क्रिटिकल विकासखण्डों में भूजल सम्वर्द्धन, वर्षा जल संचयन एवं जल संरक्षण से संबंधित कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता पर समेकित ढंग से सम्पन्न कराया जायेगा। अतिदोहित एवं क्रिटिकल विकासखण्डों के अतिरिक्त पूरे प्रदेश में भूगर्भ जल के स्तर में संवर्धन हेतु विभिन्न कार्यों जैसे-चेकडैमो का निर्माण, तालाबों-पोखरों का गहरीकरण, खेतों की मेडबन्दी का कार्य कराये जाने संबंधी कार्य योजना बनाकर इसे क्रियान्वित किया जायेगा।

3.1.2 ग्राम पंचायत स्तर पर लेखपाल व ग्राम पंचायत अधिकारी को मिलाकर एक संयुक्त समिति गठित की जायेगी तथा उनके द्वारा प्रत्येक गॉवों के तालाबों, पोखरों, कुओं व अन्य जल स्रोतों की सूची

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बनाकर खण्ड विकास अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज विभाग , राजस्व विभाग व लघु सिंचाई विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि जनपद में उपलब्ध तालाबों-पोखरों का गहरीकरण किया जाय ताकि वहाँ पर घटते हुए जल स्तर को रोका जा सके।

3.1.3 समिति द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्राकृतिक जल स्रोतों यथा-तालाबों एवं पोखरों का चिन्हीकरण कर उनके प्रत्येक कोने पर लाल खम्भे लगाये जायेंगे, जिससे उनके क्षेत्रफल आदि की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

3.1.4 इन जल स्रोतों पर शिलापटद लगाया जायेगा एवं यह सुनिश्चत किया जायेगा कि इन पर कोई अनाधिकृत कब्जा न होने पाये। साथ ही इन जगहों पर यदि पूर्व में कोई अनाधिकृत कब्जा हो तो उन्हें मुक्त कराने हेतु तत्परता से समुचित कार्यवाही करायी जायेगी। उपजिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से जल स्रोतों की सूची एवं कार्य का प्रमाणीकरण किया जायेगा।

3.1.5 शहरों/कस्बों में नगर निगम /नगर पालिका स्तर पर प्राक़तिक जल स्रोतों की सूची तैयार कर वर्षा जल संचयन हेतु विस्तृत कार्य योजना बनाकर जनपदीय समिति को उपलब्ध करायी जायेगी। नगर विकास विभाग का यह दायित्व होगा कि वह देखे कि शहरों, कस्बों में उपलब्ध तालाब-पोखरों का विकास इस प्रकार किया जाय जिससे वहां पर जल संचयन भारी मात्रा में हो सके, यह भी सुनिश्चित किया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जाय कि ऐसे तालाबों व पोखरों में दूषित जल किसी भी प्रकार न जाने पायें।

3.1.6 अतिदोहित एवं क्रिटिकल विकासखण्डों में प्राथमिकता पर तालाबों/पोखरों का गहरीकरण, चेकडैम का निर्माण, मेढबन्धी व आन फार्म हार्वेस्टिंग कार्य समेकित ढंग से कराये जायेंगे, जिससे भूजल की भूजल की स्थिति में सुधार लाया जा सके।

3.1.7 तालाबों एवं पोखरों आदि के किनारे उचित जगहों पर पर्याप्त मात्रा में वृक्षारोपण कराया जायेगा।

3.1.8 शहरी क्षेत्रों में शासकीय व निजी भवनों में रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना के प्रावधानों को कडाई से लागू कराया जायेगा।

3.1.9 गामीण/शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण हेतु वृहद स्तर पर जन जागरूकता कार्यक्रम चलाये जायेंगे।

3.1.10 समिति शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकासी की समुचित व्यवस्था के साथ यह सुनिश्चित करायेगी कि दूषित जल प्राकृतिक जल स्रोतों, तालाबों आदि मे निस्तारित न किया जाये।

3.1.11 जिलाधिकारी स्तर पर प्रत्येक माह समिति की बैठक आयोजित कर समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी तथा आवश्यकतानुसार मौके का स्थलीय निरीक्षण भी किया जायेगा।

3.2 राजस्व विभाग द्वारा सभी तालाबों, पोखरों व प्राकृतिक जल स्रोतों की डिजिटल डायरी बनायी जायेगी तथा तालाबों व अवैध कब्जे वाले

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जलाशयों को चिन्हित कर उनसे अतिक्रमण।/अनाधिकृत कब्जे हटाये जायेंगे।

3.3 सिंचाई विभाग द्वारा संकटग्रस्त विकासखण्डों में भूजल दोहन में कमी लोने के लिये सिंचाई हेतु नहर जल का अधिकाधिक उपयोग किये जाने को प्राथमिकता दी जायेगी तथा सतही एवं भूजल के सहयुक्त उपयोग (कन्जन्क्टिव यूज) को बढावा दिया जायेगा।

3.4 उदयान एवं कृषि विभाग द्वारा ड्रिप व स्प्रिंकलन सिंचाई प्रणाली को विशेष रूप से अतिदोहित एवं क्रिटिकल विकासखण्डों में प्राथमिकता दी जायेगी।

3.5 ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर इन्सेफ्रेलाइटिस बहुल क्षेत्रों तथा जिन क्षेत्रों में पेयजल अत्यन्त दूषित हो चुके हैं वहाँ पर उ0प्र0 जल निगम द्वारा आर0ओ0 अथवा अन्य कोई संयंत्र, जो आसानी से सम्भव हो सके, लगवाकर सुनियोजित रूप से पेयजल उपलब्ध कराया जाये। साथ ही, उन छोटे शहरों/कस्बों, जहाँ पर पेयजल आपूर्ति आदि की समुचित व्यवस्था न हो, वहाँ पर भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये।

3.6 जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन कार्यों पर आने वाले व्यय हेतु वित्तीय व्यवस्था मनरेगा, राज्य वित्त आयोग एवं मा0 सांसद/विधायक कोष अथववा किसी अन्य योजना से पूलिंग करके की जा सकती है।

3.7 समस्त जिलाधिकारी, मण्डलायुक्तों व विभागों के स्तर पर उक्त योजना के प्रभावी कार्यान्वयन से संबंधित कार्यवाही आगामी 10

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

दिवस के भीतर पूर्ण करके प्रगति से शासन को अवगत कराया जायेगा।

3.8 राज्य स्तर पर उक्त योजना की मासिक समीक्षा मुख्य सचिव के स्तर पर की जायेगी।

कृपया उक्त के संबंध में प्राथमिकता पर समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये, जिससे ''मुख्य मंत्री जल बचाव अभियान योजना'' का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या 7/2015/17सीएम तददिनांक.2015-1-62/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

-1विशेष सचिव, मा0 मुख्य मुंत्री, उ0प्र0।
-2प्रमुख सटाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
3- स्टाफ आफीसर, क़षि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख अभियंता, सिंचाई/सिंचाई (यॉत्रिक) विभाग, उ0प्र0।
5- निदेशक ,क़षि विभाग, उ0प्र0 ।
-6 अधिशासी निदेशक, पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उ0प्र0।
-7मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0।
-8 प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम ।
9- निदेशक ,भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 ।

आज्ञा से,

ह0/ (चन्द्र प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in